

दिनांक-15.10.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं एवं अधिकार-अभिलेख में टोलों के नाम को शामिल करने में आ रही समस्याओं के संबंध में विशेष सर्वेक्षण शाखा एवं आई0टी0 सेल की गई संयुक्त बैठक की कार्यवाही

दिनांक-15.10.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा विशेष सर्वेक्षण शाखा के स0ब0प0, श्री वीरेन्द्र कुमार एवं शैलेश कुमार श्रीवास्तव तथा आई0टी0 सेल के श्री अंजनी कुमार मिश्रा, श्री किशोर कुणाल एवं श्री प्रिंस कुमार के साथ विशेष सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में ग्रामों के साथ संबद्ध टोलों के नाम को समाविष्ट करने तथा भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं विमर्शोपरांत निम्नांकित कार्यों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया:-

1. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में प्रपत्र-20 में अन्तिम अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र को प्रकाशित किए जाने के पश्चात् प्रपत्र-21 एवं 22 के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रपत्रों का प्रावधान एवं प्रविष्टियों को भरे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निदेश। निदेशित किया गया कि इस कार्य को दिनांक-18.10.2022 तक पूर्ण कर निदेश के साथ सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाए।
2. भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में बन्दोबस्त पदाधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर को एक साथ बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर में किए जाने सम्बन्धी व्यवस्था को यथाशीघ्र प्रावधानित करते हुए सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया जाए।
3. दिनांक- 22.09.2022 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में अधिकार-अभिलेख में ग्राम के नाम के साथ अलग बाक्स में उस ग्राम का प्रचलित नाम भरे जाने का प्रावधान (यदि कोई हो तो वैकल्पिक)। एक अलग बाक्स में ग्राम के सम्बद्ध टोलों का नाम भरे जाने का प्रावधान 1 मानचित्र में ग्राम के साथ मशहूर या प्रचलित नाम एवं आबादी वाले मानचित्र में टोले के नाम को भी भरने की व्यवस्था भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जाए एवं यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए।
4. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के तहत जिन ग्रामों का अधिकार-अभिलेख अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जा चुका है, उनमें प्रकाशित अधिकार-अभिलेख की मूल प्रतिकृति को चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी एवं जमाबंदी पंजी तैयार करने के लिए अंचल कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।
5. बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अन्तिम अधिकार-अभिलेख के साथ सम्बन्धित ग्राम का Plot Index जिसमें खाता, खेसरा के साथ Parcel Unique ID के प्रपत्र को बनाए जाने का निदेश यथाशीघ्र सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए।
6. नदी से सम्बन्धित खेसरा की सूची को प्रपत्र-6 के अभ्युक्ति कॉलम में Pdf के रूप Upload के बाद संधारित किया जाना। साथ ही नदी वाले भूमि के खेसरा को स्वतः सम्बद्ध किए जाने से सम्बन्धित भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाए।

7. भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के नाम को परिवर्तन करने पर सभी नोडल पदाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए।
8. जिन राजस्व ग्रामों का अन्तिम अधिकार-अभिलेख प्रकाशित कर अंचलों को अधिकार-अभिलेख उपलब्ध कराया जा चुका है, उनको Denotified किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव विशेष सर्वेक्षण शाखा द्वारा तैयार कर उपस्थापित किया जाए।
9. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत अधिकार-अभिलेख निर्माण के क्रम में किए जाने वाले स्वामित्व निर्धारण की प्रक्रिया में वैसी समस्याएँ जिन पर विधिक परामर्श लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उनके सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से विधि विशेषज्ञ से परामर्श लिए जाने पर विचार करने के संबंध में समस्याओं की सूची के साथ प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0-09/2022.....²⁹³⁴.....पटना, दिनांक:.....^{18/10/2022}

प्रतिलिपि:- विशेष सर्वेक्षण शाखा के श्री वीरेन्द्र कुमार स0ब0प0/शैलेश कुमार श्रीवास्तव, स0ब0प0/आई0टी0 सेल के श्री अंजनी कुमार मिश्रा/श्री किशोर कुणाल/श्री प्रिंस कुमार /निदेशालय स्तर के संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप